महत्वपूर्ण एवं खास

आवासीय भूमियों को अनाधिकृत विकास की श्रेणी में किया गया नियमितीकरण

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी की अध्यक्षता में अनाधिकृत विकास नियमितीकरण की बैठक आयोजित की गई। गठित समिति द्वारा तीन आवेदकों के प्रकरण को नियमितीकरण हेतु योग्य पाया गया एवं उनके द्वारा कुल शास्ति राशि 1 लाख 44 हजार 616 रुपये जमा किया गया। ग्राम सहसपुर निवासी उषा दुबे पति चंद्रिका प्रसाद दुबे द्वारा आवासीय भूमि हेतु 41 हजार 198 रुपए कुल शास्ति राशि जमा किया गया, सारंगढ़ निवासी प्रेमरिता मिंज पति संजीव कुमार तिर्की द्वारा आवासीय भूमि हेतु कुल 41 हजार 645 रुपये जमा किया गया, सारंगढ़ निवासी सुधीर कुमार भगत पिता बिगन राम भगत द्वारा आवासीय भूमि हेतु 61 हजार 773 रूपये शास्ति राशि जमा किया गया। इसके अलावा सारंगढ़ निवासी विमला कांता मिंज पति स्वर्गीय दीपचंद्र मिंज के आवासीय भूमि को प्रश्नाधीन भवन प्रस्तावित मार्ग अंतर्गत आने के कारण नियमितीकरण हेतु अयोग्य पाया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सारंगढ़ मनीष गायकवाड़ एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में गुरूवार को मिले सौ से अधिक कोरोना के मरीज

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। गुरूवार को भी प्रदेश भर में 102 नये कोरोना के मरीज मिले है। इनमें सर्वाधिक रायपुर जिले में 25 मरीज मिले है। गुरूवार को हुए 1667 सेंपलों की जांच में प्रदेश में 102 नये कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। इनमें रायपुर जिले में सर्वाधिक 25 तो कोंडागांव में 17, राजनांदगांव में 12,धमतरी में 11,बिलासपुर में 9,दुर्ग व महासमुंद में 8-8,दंतेवाड़ा में 6,जांजगीर चांपा में 4 तथा सरगुजा में 2 नये मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं प्रदेश के दस जिलों में कोरोना का एक भी मरीज सक्रीय नही है। प्रदेश में अब औसत पॉजिटीविटी दर 6.12 प्रतिशत हो गई।

अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर होगी कार्यवाही

कोरबा (आरएनएस)। खनिज विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि जिला अंतर्गत स्वीकृत मुख्य खनिज खनिज एवं रेत खदानें जो कि वैद्य रूप से संचालित है के अलावा अन्य स्थानों से किसी भी व्यक्ति/संस्थानों द्वारा खनिजों का किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण किये जाने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 की धारा-21 एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 अन्तर्गत नियम- 71 एवं छ.ग. खनिज खनन (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम- 2009 के नियम- 3 के तहत खनिज अधिनियम/नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

गाज गिरने से 7 मवेशियों की हुई मौत

बीजापुर (आरएनएस)। जिले के संतोषपुर के नागुलपारा में गाज गिरने से 07 मवेशियों की मौत हो गई। बीजापुर तहसीलदार डीआर ध्रुव ने बताया कि बुधवार की देर शाम को ग्राम संतोषपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 07 मवेशियों की मौत हो गई है, इसकी सूचना हमें हमें गांव वालों ने दी है। इस प्रकृतिक आपदा की घटना के बाद आज गुरुवार को पटवारी को पंचनामा बनाने के लिए मौके पर भेजा गया है। मवेशियों के पंचनामा एवं पीएम की रिपोर्ट के बाद मुवावजा प्रकरण तैयार किया जायेगा।

भवन अनुज्ञा, नल कलेक्शन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गुमास्ता, लायसेंस आदि कार्य समय-सीमा में किए जाए - मुख्य सचिव

❒ शहरी बस्तियों में और बढ़ेगी इलाज की सुविधाएं

❒ नगरीय प्रशासन विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की शहरी बस्तियों में रहने वाले गरीब तबकों को अब और भी अधिक आसानी से इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में मोबाइल मेडिकल यूनिट की संख्या 120 से बढ़ाकर 150 की जा रही है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को शहरी गरीबों के इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर मोबाइल यूनिटों के माध्यम से चिकित्सा शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नगरीय प्रशासन विभाग की सेवाएं तत्परता से उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि भवन अनुज्ञा, नल कलेक्शन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गुमास्ता, लायसेंस आदि कार्य समय-सीमा में किए जाए।

मुख्य सचिव जैन ने कहा कि शहरों में बनाए गए कृष्ण कुंज की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। बारिश से पूर्व कृष्ण कुंज में पौधे लगाए जाए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में बनाए गए गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट और गोबर से पेंट बनाने की इकाईयों की जानकारी ली और गौठानों में रोजगारमूलक गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मितान योजना की मॉनिटरिंग की जाए। अधिकारियों ने बताया कि शहरी लोगों को शासकीय कामकाज के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए मितान योजना को भी विस्तारित करने की योजना है। बैठक में गोबर पेंट का उपयोग, अवैध निर्माणों का नियमितीकरण, व्यवसायिक भूखण्डों का विकास सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव अयाज तम्बोली, संचालक नगरीय प्रशासन आर.एक्का सहित नगरीय प्रशासन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन की संख्या 120 से बढक़र 150 हो जाएगी। इस योजना में अब तक करीब 44 लाख 37 हजार से ज्यादा मरीजों का उपचार, 38 लाख मरीजों को निशुल्क दवाओं का वितरण और 11 लाख मरीजों को विभिन्न प्रकार का पैथालॉजी टेस्ट किया गया है। मुख्यमंत्री मितान योजना के माध्यम से 68 हजार 723 शासकीय दस्तावेज नागरिकों को उनके घर पर पहुंचाए गए है। मितान योजना के तहत करीब 78 हजार से अधिक लोगों ने शासकीय दस्तावेज घर पर प्राप्त करने के लिए अपायमेंट बुक कराया गया है। धनवन्तरी मेडिकल स्टोर्स योजना के तहत राज्य में 195 धनवन्तरी मेडिकल स्टोर्स संचालित हैं। इन स्टोर के माध्यम से लोगों को कम दामों में उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करायी जा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने सम्पत्ति कर भुगतान में विशेष छूट देने लिया अहम निर्णय

❒ सम्पत्ति कर जमा करने हेतु अंतिम तिथि अब 30 अप्रैल तक

❒ मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया की पहल पर नागरिकों को मिला एक महीना का अतिरिक्त अवसर

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नागरिकों के हित में सम्पत्ति कर भुगतान में विशेष छूट प्रदान करने का अहम् निर्णय लिया गया हैं। इसके तहत राज्य में सम्पत्ति कर तथा विवरणी जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च को बढाकर अब 30 अप्रैल तक कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव डहरिया की पहल पर अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छूट प्रदान करते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए एक महीना का अतिरिक्त अवसर दिया गया है।

उल्लेखनीय हैं कि ग़त वर्षो में महामारी(कोविड -19) को दृष्टिगत रखते हुए संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथी 31 मार्च में विशेष छूट प्रदान करते हुए अतिरिक्त अवसर दिया गया था । इस वर्ष 2022-23 की सम्पत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए पूर्व में दिए गए छूट की समय सीमा -15 अप्रैल 2023 तक, को बढाकर 30 अप्रैल 2023 तक कर दी गई हैं।

इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर, आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत को जारी पत्र में कहा गया हैं कि नागरिकों द्वारा कार्यालय में आकर संम्पत्ति कर के भुगतान की स्थिति में, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यत: किया जाए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर- घर जाकर संम्पत्ति कर की वसूली की जाए तथा नागरीकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए।

वृद्ध की शिकायत पर तमनार पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही, वृद्ध की ऋण पुस्तिका व 29,000 रुपए को दिलाया वापस

रायगढ़। ग्राम महलोई का वृद्ध बाबूलाल साहू (उम्र करीब 60 वर्ष) अपने गांव के एक व्यक्ति के साथ थाना तमनार आकर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण मिंज को अपनी व्यथा सुनाया और बताया कि उसके गांव का भरतलाल साहू उसकी जमीन बिक्री कराने के नाम पर उसका ऋण पुस्तिका और रु.29,000 लेकर वापस नहीं कर रहा है।

वृद्ध की यथास्थिति को देखते हुए थाना प्रभारी द्वारा वृद्ध से विस्तृत पूछताछ किया गया। वृद्ध बाबूलाल साहू बताया कि अनावेदक भरतलाल साहू उसका रिस्ते में भतीजा है, वह अपनी 3 एकड़ जमीन को बेचना चाहता था, जिसकी जानकारी भरत को होने पर वो जमीन बिक्री करा दूंगा कहकर दो महीना पहले ऋण पुस्तिका मांगा और दो बार में 29,000 रूपये दस्तावेज तैयार करने के नाम पर ले लिया। काफी दिन हो गये जमीन बिक्री नहीं होने पर भरत से ऋण पुस्तिका और रूपये मांगने पर गाली गलौच कर रहा है। वृद्ध अपने रूपये डूबते देखकर काफी परेशान था। थाना प्रभारी द्वारा तत्काल थाने के प्रधान आरक्षक पारसमणी बेहरा को अनावेदक भरतलाल साहू को थाना तलब करने निर्देशित किये। तमनार स्टाफ भरतलाल साहू को थाने लाया गया। शिकायतकर्ता और अनावेदक का आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया गया। दोनों पक्षों की बातें सुनकर मामला आपसी लेन-देने का होना प्रतीत हुआ, थाना प्रभारी द्वारा अनावेदक भरतलाल साहू को बाबूलाल से लिये हुये ऋण पुस्तिका और रु.29,000 तुरंत लौटाने बोले जिस पर भरतलाल अपने घर से ऋण पुस्तिका और रु.29,000 लेकर आया जिसे बाबूलाल साहू को दिया गया। थाना प्रभारी द्वारा दोनों को झगड़ा विवाद से दूर रहने की समझाइश दिये। ज्ञात हो कि सिनीयर सिटीजन सेल द्वारा वृद्धजनों के शिकायतों, रिपोर्ट के त्वरित निराकरण के चलाये जा रहे "समपर्ण अभियान" को लेकर एसएसपी सदानंद कुमार बेहद गंभीर है, उनके द्वारा सिनीयर सिटीजन की शिकायतों के त्वरित रूप से निराकरण करने के निर्देश सभी प्रभारियों को दिया गया। इस क्रम में तमनार पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही प्रशंसनीय है।

किशोर बालिका को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाले मां-बेटे गिरफ्तार

रायगढ़। पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द अंतर्गत 17 वर्षीय किशोर बालिका के आत्महत्या मामले की जांच पर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक मान कुंवर सिदार द्वारा किशोर बालिका को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाले युवक और उसकी मां को आत्महत्या के दुष्प्रेरण और पोक्सो एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 21 मार्च को पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द में 17 वर्षीय बालिका के घर में फांसी लगाकर मौत होने की सूचना चौकी प्रभारी को मिला। 22 मार्च को कार्यपालिक दंडाधिकारी धरमजयगढ़ की उपस्थिति में मर्ग पंचनामा कार्यवाही कर गवाहों का कथन लेखबद्ध किया गया। घटना को लेकर गवाह बताये कि किशोर बालिका (मृतिका) और कमल कुमार यादव दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक ही जाति समाज व रिश्तेदार होने से किशोर बालिका उनके घर में ही नवंबर 2022 से रह रही थी। घटना के पूर्व बालिका इन्हें बताई थी कि कमल कुमार यादव की मां अनीता यादव उसे उसके लड़के को फंसा कर घर में घुस गई है कहकर ताना देती थी और उसे खाना देना बंद कर घर के बाहर कमरे में रहने बोली। बालिका को दोनों मां-बेटे अनेक प्रकार से यातनाएं दे रही थी जिससे क्षुब्ध होकर बालिका 21 मार्च को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मर्ग जांच में आज दिनांक 06.04.2023 को पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द (थाना धरमजयगढ़) में आरोपी कमल कुमार यादव पिता रामसिंह यादव 18 वर्ष और उसकी मां अनीता यादव पति राम सिंह यादव 48 वर्ष निवासी पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द क्षेत्र के विरुद्ध धारा 305, 34 भादवि एवं 18 पोक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर चौकी प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर तत्काल कार्यवाही करते हुये दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

हत्या के मामले में फरार दंपती को कापू पुलिस ने सूरजपुर जिले से किया गिरफ्तार

रायगढ़। करीब 05 माह पहले थाना कापू के ग्राम बालकपोड़ी में रहने वाले रामेश्वर मांझी (38 साल) की उसके सगे भाई विजय मांझी (35 साल) और उसकी पत्नी राजमुनि उर्फ राजमोहनी मांझी (32 साल) द्वारा आपसी विवाद में हत्या कर घटना के बाद से फरार थे जिन्हें थाना कापू और सायबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा पतासाजी सूरजपुर जिले के पुलिस चौकी करंजी क्षेत्र से पकड़ा गया है। आरोपी विजय मांझी उसकी पत्नी एक ईट भट्टा में छिप कर काम कर रहे थे।

विदित हो कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा स्वयं थानावार मर्ग प्रकरणों की समीक्षा की जाकर थाना प्रभारी एवं जांचकर्ताओं को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इसी क्रम में मृतक रामेश्वर मांझी से संबंधित थाना कापू के मर्ग के पीएम रिपोर्ट, गवाहों के बयान के सूक्ष्मता से जांच पड़ताल पर पाया गया कि रामेश्वर मांझी (मृतक) और उसका भाई विजय मांझी अगल-बगल में अपने परिवार के साथ रहते हैं जो अक्सर छोटी-छोटी बातों में झगड़ा विवाद करते थे। 05 दिसंबर 2022 के दोपहर रामेश्वर की पत्नी गांव के राशन दुकान गई थी, शाम को घर आयी तो इसका पति रामेश्वर मांझी बताया कि उसका भाई विजय राम एवं उसकी पत्नी राजमोहनी मांझी उर्फ गोर्रा लडाई झगडा मारपीट किये हैं। मारपीट से रामेश्वर के सिर, हाथ, पैर और शरीर में अंदरूनी चोट था जिसे डायल 112 की सहायता से ईलाज के लिए विजयनगर अस्पताल लेकर गई, एक रोज अस्पताल में रहने के बाद दूसरे अपने दिन रामेश्वर को घर लेकर आ गई। उसी दिन सबेरे रामेश्वर का मृत्यु हो गया। घटना के संबंध में थाना कापू में मर्ग कायम कर मर्ग पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मर्ग जांच दौरान गवाहों के कथन, पीएम रिपोर्ट से रामेश्वर मांझी (मृतक) की मौत उसके भाई विजय मांझी एवं राजमोहनी मांझी के द्वारा मारपीट करने से किया जाना पाये जाने से 23 मार्च 2023 को आरोपियों पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

घटना के बाद से दोनों आरोपियों फरार थे। एसएसपी सदानंद कुमार के निर्देशन पर एडिशनल एसपी संजय महादेवा द्वारा थाना कापू के साथ सायबर सेल की टीम को सहयोग हेतु निर्देशित किया गया। ह्यूमन हिंट के आधार पर पुलिस टीम को दोनों आरोपियों के सूरजपुर जिले के करंजी चौकी क्षेत्र के ईट भट्टा में छिप कर रहने की जानकारी मिला। तत्काल एसडीओपी धरमजयगढ़ ने पुलिस टीम सूरजपुर के लिये रवाना किया गया। जहां दतिमा मोड़ दिनेश जायसवाल के ईट भट्टा में दोनों नाम और पहचान बदलकर काम करते पाये गये। दोनों को हिरासत में लेकर थाना कापू लाया गया। आरोपी विजय मांझी ने बताया कि 05 दिसंबर के दोपहर झगड़ा विवाद दौरान उसके भाई ने डंडा से इसकी पत्नी को मारा था जिससे गुस्से में दोनों पति-पत्नी मिलकर डंडा, हाथ मुक्का से रामेश्वर मांझी से मारपीट किये थे। पुलिस ने आरोपी विजय मांझी से डंडा जप्त् किया गया है। दोनों आरोपी विजय मांझी पिता लोहार साय मांझी 35 साल, राजमुनि उर्फ राजमोहनी मांझी पिता विजय मांझी उम्र 32 साल निवासी बालकपोड़ी मंदिरपारा थाना कापू को आज ज्युडिसियल रिमांड पर जेएमएफसी धरमजयगढ़ के न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है। एसएसपी सदानंद कुमार के निर्देशन पर एडिशनल एसपी संजय महादेवा एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के उचित मार्गदर्शन पर फरार आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना कापू के उप निरीक्षक बलदेव साय पैंकरा, आरक्षक विजय राठिया के साथ सायबर सेल रायगढ़ की टीम एवं पुलिस चौकी करंजी प्रभारी का विशेष योगदान रहा है।

शराब सेवन कर वाहन चलाते पकड़े गए दो वाहन चालकों पर लगा 10- 10 रुपए का जुर्माना

रायगढ़। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के दृष्टिगत यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश देते हुए लगातार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में विगत दिनों हाईवे पर शराब सेवन कर वाहन चलाते पकड़े गये वाहन चालक (1) लक्ष्मण यादव पिता सुदामा यादव उम्र 44 साल निवासी बगईया छतरपुर जिला पलामू झारखंड (2) हितेश गोस्वामी पिता अनिरुद्ध गोस्वामी (गिरी) उम्र 50 साल निवासी जामनगर गुजरात पर यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा धारा 185 मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय इस्तगासा पेश किया गया। माननीय न्यायाधीश द्वारा दोनों वाहन चालकों के कृत्य पर मोटरयान अधिनियम की धारा 185 में रु.10000-रु.10000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

आयल कंपनी के मैनेजर से लाखों रूपए लूटने वाले पांच आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

महासमुंद (आरएनएस)। परफेक्ट हर्बल एण्ड आयल कंपनी के मैनेजर से हुए 10 लाख 80 हजार रुपए के लूट मामले मे पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा लूट की रकम में से 9 लाख 50 हजार 500 रुपए जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों मे एक नाबालिग व एक महिला भी शामिल है।

मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि लूट के घटना का मास्टर मांइड अजय बांधे एक वर्ष पूर्व इसी फैक्ट्री मे काम करता था, और उसे मालूम था कि फैक्ट्री का मैनेजर पैसे लेकर आता-जाता है। अजय ने अपने तीन दोस्त बलजीत, सलीम व नाबालिग के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। योजनानूसार 2 अप्रैल की रात्रि फैक्ट्री के मैनेजर को साराडीह के पास धक्का देकर गिराया और बैग मे रखे 10 लाख 80 हजार रुपए को लेकर तुमाडबरी बांध गए और वहां पैसों का बंटवारा कर बलजीत और सलीम बिलासपुर चल गए, वहां अपनी मौसी नेहा के घर रुककर लूटी गई रकम रखने के लिए दिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बलजीत व सलीम बिलासपुर में है, जिसके बाद बाद पुलिस बिलासपुर से इन दोनों और नेहा को गिरफ्तार कर लाई। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए एक नाबालिग व अजय का नाम बताया जिसके बाद पुलिस ने उन्हें भ्ज्ञी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पांचों से लूट की रकम में 9 लाख 50 हजार 500 रुपए, दो बाइक और पांच मोबाइल जब्त किया है।

कलेक्टर डॉ.सिद्दीकी ने ली महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति और विभागीय कामकाज पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत सभी गंभीर कुपोषित बच्चों को लाभान्वित करने के लिए पोषक पदार्थों एवं भोजन को महिलाओं और बच्चों में शत प्रतिशत प्रदान की जाए। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि महिलाओं और बच्चों को पोषणयुक्त भोजन में कैलोरी, प्रोटीन, वसा और आयरन दी जा रही है, जिससे बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने में मददगार साबित होगा। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने बाल संरक्षण केन्द्रों के कार्यों की समीक्षा में बरमकेला ब्लॉक के बाल संरक्षण केन्द्र में बच्चों की कमी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समस्त केन्द्रों में शत प्रतिशत बच्चों को लाभान्वित करें। कलेक्टर ने मध्यम-गंभीर कुपोषित बच्चों की नियमित मॉनिटरिंग करने और समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित ऋण योजना, सक्षम योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि पर चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अतुल दाण्डेकर सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर कुपोषण की दर में कमी हेतु मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार गर्भवती एवं धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार एवं उनकी मजदूरी की पूरक प्रतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजानिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में है या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही है, वे सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं पात्र होगीं। प्रथम जीवित संतान हेतु ही इस योजना का लाभ देय है।

इस योजना में गर्भवती धात्री महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिये तीन किस्तो में 5000/- रूपये राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी/ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/ परियोजना अधिकारी/ पर्यवेक्षक/नजदीक के आंगनबाड़ी से संपर्क किया जा सकता है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480